



We Understand Your world

HDFC BANK Limited
Krishna Tower 15/63
Civil lines
Kanpur 208001

22/04/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that Kanpur Development Authority having its account no-01271000229987 has been credited with Rs 4,05,971.00 on dated 20/04/2019

Through RTGS CR-ALLA0210071-RATAN HOUSING
DEVELOPMENT LIMITED-KANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY-
ALLAR52019042009179096(D.letter no-49/SS(PRA-4)KDA/19-20 Plot No
381,382 Tatiya Jhanaku Kanpur Nagar - Dhananjay Tiwari - Ratan housing
development ltd - map fees etc).

The above certificate is being issued on receipt of specific request from the customer. without any risk and responsibility on the part of the Bank or any of its officials.

For HDFC BANK Ltd,

(Authorized Signatory)



*Original Certificate sent to
KDA for doing their needful
24.4.19.*

कार्यालय संयुक्त सचिव (प्रवर्तन-4)

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

पत्रांक :- डी/49 /स0स0(प्र0-4)/का0वि0प्रा0 / 19-20

दिनांक:- 09/04/19

सेवा में,

श्री धनन्जय तिवारी

रतन हाउसिंग डेवलेपमेन्ट लिमिटेड

कानपुर।

विषय:- आराजी स0 381, 382 टटिया झनाकू कानपुर नगर पर प्रस्तुत शमन आवासीय उपयोग हेतु शमन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक 27.07.2018 के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि शमन/कम्पलीशन (आवासीय ग्रुप हासिंग) मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 16.03.2019 को निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। कृपया धनराशि जमा कराने के साथ ही नीचे अंकित प्रतिबन्धों की पूर्ति कराने का कष्ट करें।

1. मानचित्र शुल्क	रु0	28,830.00
2. निरीक्षण शुल्क	रु0	8626.00
3. अनाधिकृत निर्माण का शमन शुल्क	रु0	3,66,962.00
4. अम्बार शुल्क	रु0	0.00
5. सेस शुल्क	रु0	0.00
6. जी0एस0टी0 शुल्क	रु0	1553.00
योग	रु0	4,05,971 .00

पूर्व से जमा धनराशि का समायोजन कर उक्त धनराशि प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर जमा कराकर जमा धनराशि की प्रमाणित रसीद एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों को पूर्ण करते अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

प्रतिबन्ध:-

1. भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की दशा में प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. कानपुर विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता निकलने पर पक्ष द्वारा उसका भुगतान समयान्तर्गत करना होगा।
3. भवन की स्ट्रक्चरल सेपटी के दृष्टिगत स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
4. रेरा के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आवेदक की होगी।
5. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दिया गया पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

भवदीय,

(संयुक्त सचिव)

प्रवर्तन-4